रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128)/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23, 1991 (फाल्गुण 4, 1912)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23, 1991 (PHALGUNA 4, 1912)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	213
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	205
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	219
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	183
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	235
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	345
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	23
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	213
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	205
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . .	2
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	219
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB.SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character (issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Officers of the Government of India . . .	183
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	235
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	345
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	23
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालयों को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of) Defence, and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी, 1991

सं० 12–प्रेज/91—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री इन्दर सिंह मेहरा,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
फतेहगढ़ ।

श्री चरनपाल सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
फतेहगढ़ ।

श्री महेश चन्द्र पाण्डेय,
हैड कान्स्टेबल,
28वीं बटालियन, पी० ए० सी०,
इटावा ।

श्री अनन्त राम यादव,
कान्स्टेबल, सिविल पुलिस,
फतेहगढ़ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

31 मार्च, 1989 को फतेहगढ़ के वरिष्ठ अधीक्षक श्री इन्दर सिंह मेहरा को करीमगंज के पुलिस-उप-अधीक्षक श्री चरनपाल सिंह से सूचना प्राप्त हुई कि रामजी यादव का एक गिरोह जिसमें सात सशस्त्र व्यक्ति हैं थाना करीम गंज, गांव जयसिंह पुर के निर्मल नामक व्यक्ति की "बैठक" में एकत्र होंगे और गांव से जाते समय वे भारी संख्या में हथियार करेंगे। श्री मेहरा ने हैडक्वार्टर से उपलब्ध बल और मीरापुर और करीमगंज थाने पर स्थित पी० ए० सी० के एक प्लाटून को तुरन्त एकत्रित किया और सैंथारा गांव की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दल को 3 ग्रुपों में बांटा।

पहले दल का नेतृत्व स्वयं श्री मेहरा ने किया जबकि दूसरे दल का नेतृत्व श्री चरनपाल सिंह और तीसरे दल का नेतृत्व करीमगंज थाने के प्रभारी-निरीक्षक ने किया। श्री मेहरा ने स्थिति का जायजा लिया और "बैठक" के दरवाजे पर लगे ताले की चाबी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। उसके बाद, उन्होंने अपने दल को बैठक की छत पर तैनात किया। दूसरे ग्रुप को बैठक के दो दरवाजों की ओर, तीसरे ग्रुप को परिसर की उत्तर दिशा में तैनात किया।

श्री मेहरा ने छत में छेद करना शुरू किया जिससे डकैतों का दल सावधान हो गया और तब उन्होंने डकैतों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन डकैतों ने श्री चरनपाल सिंह के नेतृत्व वाले दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उत्तर दिया। जब प्रथम दल ने छत में छेद कर दिया तब श्री मेहरा ने इस छेद से एक हथगोला फेंका। डकैतों ने छत की ओर गोली चलाई परन्तु सौभाग्य से श्री मेहरा बच गये। श्री चरनपाल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री महेश चन्द्र पाण्डेय, हैड कान्स्टेबल और श्री अनन्त राम यादव, कान्स्टेबल बन्दूक की गोली से जख्मी हो गए। श्री चरनपाल सिंह ने एक उप-निरीक्षक के साथ डकैतों के दल द्वारा उनके दल पर गोली चलाए जाने के बावजूद जख्मी लोगों को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल को रवाना हुए। कान्स्टेबल अनन्त राम यादव को विशेष इलाज के लिए दिल्ली स्थानान्तरित किया जहां उसका जीवन बचाने के लिए उस का एक पैर काट दिया गया। लगभग 5.30 बजे सांय श्री मेहरा ने बैठक में आग लगाने का प्रबन्ध किया जिससे शीघ्र ही डकैतों की बन्दूकें चलनी बन्द हो गई। कमरे की जांच करने पर डकैतों के तीन शव प्राप्त हुए, सभी डकैत पुलिस वर्दी में थे। अग्निशमन की सहायता से आग बुझायी गई और उनके हथियार और लूटी हुई सम्पत्ति के साथ चार डकैतों के शव भी बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री इन्दर सिंह मेहरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री चरनपाल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री महेश चन्द्र पाण्डेय, हैड कान्स्टेबल और श्री अनन्त राम यादव, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 13–प्रेज/91—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री अरुण कुमार गुप्ता,
पुलिस अधीक्षक,
कानपुर नगर ।

श्री शिव कुमार शर्मा ।
पुलिस उप-अधीक्षक,
कानपुर नगर ।

श्री शंकर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
कानपुर नगर ।

श्री गौतेन्द्र पाल सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
कानपुर ।

श्री ओ० पी० शर्मा ।
पुलिस निरीक्षक,
कानपुर नगर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

7 जनवरी, 1988 को कानपुर नगर के पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार गुप्ता को सूचना मिली कि अपहरण किए गए दो लड़के खूंखार डाकू लक्ष्मी नारायण की हिरासत में हैं । वे, श्री शिव कुमार शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री शंकर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री गौतेन्द्र पाल सिंह, पुलिस निरीक्षक और श्री ओ० पी० शर्मा, पुलिस निरीक्षक तथा अन्य सहित लखनऊ में डाकुओं के एकत्र होने के संदिग्ध स्थान की ओर रवाना हो गए । दल को चार छोटे दलों में विभाजित किया गया तथा सभी अधिकारियों/कार्मिकों को डाकू दल की गोली-बारी की शक्ति तथा अपराधिक प्रवृत्ति के बारे में पूर्णतः समझा दिया गया । श्री अरुण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पहले दल को घर की उत्तरी दिशा में तैनात किया गया तथा शेष दलों को घर की पिछली ओर तथा पूर्वी/पश्चिमी दिशा में तैनात किया गया ।

जब श्री गुप्ता और उनके साथी मुख्य द्वार की ओर गए और दरवाजा खटखटाया, तो अन्दर से एक डाकू ने उनके बारे में जानना चाहा । श्री गुप्ता ने शांत भाव से उत्तर दिया कि वे पुलिस अधिकारी हैं और डाकुओं को चेतावनी भी दी कि उनको चारों ओर से घेरा जा चुका है अतः उन्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए । इस पर डाकुओं ने अन्दर से तुरन्त श्री गुप्ता और पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और श्री गुप्ता बाल-बाल बच गए और उन्होंने जवाब में गोलियां चलाई । डाकुओं ने अपहृत लड़कों को मारने की धमकी दी । लड़कों की जान को खतरा देखते हुए अपनी और अपने अधिकारियों की जान को जोखिम में डालते हुए श्री गुप्ता ने सामने के द्वार को तोड़ने का फैसला किया । इस समय किसी प्रकार के विलम्ब से डाकुओं को लाभ मिल सकता था तथा लड़कों की जान खतरे में पड़ सकती थी, श्री गुप्ता ने श्री शिव कुमार शर्मा, श्री शंकर सिंह, श्री गौतेन्द्र पाल सिंह और श्री ओ० पी० शर्मा के साथ बिजली की गति से दरवाजे पर हमला किया और दरवाजा तोड़ दिया । जिससे डाकुओं को हमले का जवाब देने का समय नहीं मिल सका । उनमें से एक डाकू गोली चलाने में सफल हो गया परन्तु पूरे दल ने उन पर काबू पा लिया और किसी प्रकार का विनाश होने से रोक दिया । पुलिस के इस साहसपूर्ण कार्य के परिणामस्वरूप गिरोह के नेता लक्ष्मी नारायण और उसके चार साथियों को शस्त्र तथा गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया, एक ब्रीफकेस जिसमें 39,000/- रुपये थे बरामद करने में सफल हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री अरुण कुमार गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, श्री शिव कुमार शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री शंकर सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक श्री गौतेन्द्र पाल सिंह, पुलिस निरीक्षक और श्री ओ० पी० शर्मा, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 जनवरी, 1988 से दिया जायेगा ।

सं० 14-प्रेज/91—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एम० एन० पी० वर्मा,
अपर आरक्षी अधीक्षक,
भोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 26 जुलाई, 1987 को 7 बजे प्रातः भोजपुर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि हाकिम सिंह नामक एक कुख्यात अपराधी, जिसके अनेक अन्य अपराधों में लिप्त होने के कारण उपधांत नगर पुलिस स्टेशन को तलाश है, एक दूसरे अपराधी गोपाल सिंह के साथ गम्भीर अपराध करने के इरादे से केरीसाथ बस स्टैंड पर गया हुआ है । पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त एक छापामार दल तैयार किया, जिसमें श्री एस० एन० पी० वर्मा, पुलिस अपर आरक्षी अधीक्षक, एक हवलदार (चालक) तथा दो कांस्टेबल शामिल थे, और तत्काल घटनास्थल की ओर रवाना हुए, जबकि पुलिस मुख्यालय, आरा, के पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में एक अन्य दल उनके पीछे गया ।

पुलिस अधीक्षक और उनका दल उसी प्रातः लगभग 8.00 बजे केरीसाथ बस स्टैंड पर पहुंचा और योजना के अनुसार पुलिस अधीक्षक की कार बस स्टैंड के नजदीक रुकी, कुख्यात डाकू हाकिम सिंह को कूद लिया गया । पुलिस अधीक्षक के इशारे पर दो पुलिस कान्स्टेबल हाकिम सिंह पर झपट पड़े और उसको दबोच कर घसीटते हुए पुलिस अधीक्षक की कार की ओर लाए । पुलिस अपर आरक्षी अधीक्षक श्री एस० एन० पी० वर्मा अपराधी को कार के अन्दर धकेलने के लिए तुरन्त कार से बाहर आए तथा हाकिम सिंह ने जोर से चिलाकर अपने साथियों को मदद के लिए बुलाया और कहा कि वे पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलायें । आततायियों ने पुलिस कार्मिकों पर तुरन्त दो राउन्ड गोलियां चलाईं जिसके फलस्वरूप पुलिस अपर आरक्षी अधीक्षक, श्री एस० एन० पी० वर्मा की आंख में गहरा घाव हो गया और हवलदार (चालक) की नाक पर छर्रे लगने से मामूली घाव हो गए । स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस अधीक्षक ने अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए आततायियों द्वारा दी गई चुनौती का सामना करने को कहा तथा अपनी जान को जोखिम में डालते हुए अपनी 12 बोर की लाइसेंस युक्त बन्दूक से गोली चलाई ।

गोलियां लगने से गहरे घाव होने के बावजूद भी श्री एस० एन० पी० वर्मा ने नाजुक स्थिति का सामना किया और अन्य पुलिस कार्मिकों की सहायता से कुख्यात अपराधी हाकिम सिंह को गिरफ्तार किया तथा उसके कब्जे से .12 बोर के 25 कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० एन० पी० वर्मा, पुलिस अपर आरक्षी अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 जुलाई, 1987 से दिया जाएगा ।

सं० 15-प्रेज/91—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

डा० अजय कुमार,
सहायक आरक्षी अधीक्षक,
भोजपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3 मार्च, 1988 को लगभग 00.30 बजे धानेचुआ गांव में एक खूंखार डकैत की उपस्थिति के बारे में भोजपुर जिले के सहायक आरक्षी अधीक्षक, डा० अजय कुमार को सूचना प्राप्त हुई । डा० कुमार पुलिस दल के साथ तुरन्त सम्बंधित गांव को रवाना हो गए । ललकारने पर पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई । एक डकैत डा० कुमार की ओर दौड़ा और उन पर गोली चलाई । भाग्यवश वे बच गए । उन्होंने जवाब में अपराधी पर तुरन्त गोली चलाई जो वहीं पर धराशायी

हो गया। गिरोह के शेष सदस्य दोनों ओर की गोली-बारी की आड़ में बच निकले और समीप के एक घर में शरण ली और पुन. पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस दल ने गोलियां चलाई। कोवास पुलिस थाने से मांगी गई कुमुक लगभग 12.00 बजे पहुंच गई। एक डकैत, जो स्थल पर पहुंच रही कुमुक पर गोली चलाने जा रहा था, को डा० कुमार ने गोली से मार गिराया। एक अन्य डकैत जिसने पुलिस दल पर गोली चलाने का प्रयास किया, के साथ हाथापाई हुई और इस कार्यवाही में वह जख्मी हो गया और जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाद में की गई खोज से पता चला कि दो और डकैत मुठभेड़ में मारे गए थे।

इस मुठभेड़ में डा० अजय कुमार, सहायक आरक्षी अधीक्षक, जिला भोजपुर ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 16-प्रेज/91—राष्ट्रपति कर्नाटक पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० सुरेन्द्र नायक,
पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर,
शेषाद्रीपुरम सब-डिवीजन,
बंगलौर सिटी।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12 अगस्त, 1989 को लगभग 10.15 बजे रात को मडी रोड स्थित एन०जी०ओ० क्वार्टर का लोकनाथ नामक एक व्यक्ति अपने मित्रों के साथ थाना शेषाद्रीपुरम के अधीन "विक्रम रेस्टोरेंट" में गया। पांच व्यक्तियों का एक ग्रुप उस होटल में आया और लोकनाथ के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और उसे होटल से बाहर ले गए और उस पर घातक हथियारों से हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, फिर उस ग्रुप ने उसके साथियों पर हमला किया, होटल की सम्पत्ति, खड़ी कार को क्षतिग्रस्त किया और गंडासे से होटल प्रबंधक पर भी हमला कर उसके दायें हाथ को गंभीर रूप से घायल कर भाग गये।

श्री आर० सुरेन्द्र नायक, पुलिस सर्किल इंस्पैक्टर तुरन्त घटना स्थल पर गए और उन्होंने आगे जांच पड़ताल की परन्तु दोषी व्यक्तियों की पहचान के बारे में किसी भी व्यक्ति ने कोई सूचना नहीं दी। श्री नायक ने अपराधी कृष्णोजीराव और उनके साथियों की पहचान की और उनके छिपने के स्थान का पता भी लगाया। श्री नायक और उनका दल शीघ्र चिगमगलूर जिले को रवाना हुआ और उन्हें सूचना मिली थी कि तथाकथित अभियुक्त घातक हथियारों के साथ कम्मारमुगड़ी जिले के जंगलों में छुपे हुए हैं।

श्री नायक और उनके कर्मचारियों ने रातभर परिसर पर लगातार निगरानी रखी। लगभग 5.00 बजे प्रातः जब एक निवासी भवन के बाहर निकला तो श्री नायक ने अपना रिवाल्वर निकाला, तुरन्त अन्दर गए और बाहर निकलने के दरवाजे बंद कर दिए। उपद्रवी व्यक्ति इस अचानक छापे से अनभिज्ञ थे, उन्होंने घातक हथियार उठाए और श्री नायक के दाएं हाथ पर गंडासों से हमला किया। इसके परिणाम-स्वरूप श्री नायक जख्मी हो गए और उनके जख्म से खून बहने लगा लेकिन उन्होंने सफलतापूर्वक अपराधियों को दबोच लिया। चोट की जांच करने पर पता चला कि फ्रेक्चर हो गया है। उपद्रवी व्यक्तियों से बहुत से घातक हथियार बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री आर० सुरेन्द्र नायक, पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 अगस्त, 1989 से दिया जाएगा।

दिनांक 11 फरवरी 1991

सं० 17-प्रेज/91—शुद्धिपत्र—स्वतन्त्रता दिवस, 1990 के अवसर पर सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षा तथा नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान किए जाने से सम्बन्धित दिनांक 25 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड-1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 68-प्रेज/90, दिनांक 15 अगस्त 1990 में निम्न संशोधन किया जाता है :—

क्रम सं० 38

के स्थान पर :— श्री हरभान सिंह पटेल,
उप समादेष्टा गृह रक्षा एवं उप नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा,
राजस्थान।

पढ़े :— श्री हरभान सिंह पटेल,
उप समादेष्टा गृह रक्षा एवं उप नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, जयपुर,
राजस्थान।

ए० के० उपाध्याय, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(पर्यावरण और वन समिति शाखा)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1991

सं० 6/3/ई०एफ०सी०/91—अध्यक्ष महोदय ने श्री राम सेवक भाटिया, संसद सदस्य को श्री जय प्रकाश के मंत्री नियुक्त होने पर समिति का सदस्य न रहने के कारण उनके स्थान पर पर्यावरण और वन संबंधी समिति (1990-91) का सदस्य मनोनीत किया है।

जे० जी० रामचंदानी,
संयुक्त निदेशक

(कृषि समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जनवरी 1991

सं० 6/2/ए सी/91—अध्यक्ष महोदय ने श्री बालासाहिब विखे पाटिल, संसद सदस्य को श्री राव बीरेन्द्र सिंह के मंत्री नियुक्त होने पर, समिति का सदस्य और सभापति न रहने के कारण, उनके स्थान पर कृषि संबंधी समिति (1990-91) का सभापति नियुक्त किया है।

एम० राजगोपालन नायर
उप-निदेशक,

(पी० ए० सी० ब्रांच)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 1991

सं० 4/1/90/पी०ए सी०—श्री ए० एम० सिंह देव, संसद सदस्य और श्री एम०एस० गुरूपदस्वामी, संसद सदस्य को लोक लेखा समिति की 30 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाली कार्यविधि के लिए क्रमशः श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल और श्री कमल मोरारका के मंत्री

नियुक्त होने पर समिति का सदस्य न रहने के कारण उनके स्थान पर समिति का सदस्य चुना गया है।

भूपेन्द्र सिंह जौहर,
अवर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी 1991

संकल्प

सं० यू-24012/1/90-आर० डब्ल्यू०—भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में दिनांक 11 अगस्त, 1987 को प्रकाशित श्रम मंत्रालय के संकल्प संख्या यू-24012/1/87-आर० डब्ल्यू० के तहत गठित राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग को इसके द्वारा निम्नानुसार पुनर्गठित किया जाता है :—

1. श्री सी० एच० हनुमंथा राव	अध्यक्ष
2. श्री एच० हनुमंथाप्पा, संसद सदस्य	सदस्य
3. श्री गुरूदास दास गुप्ता, संसद सदस्य	सदस्य
4. श्री पी० के० कुंजाचेन, संसद सदस्य	सदस्य
5. श्री चांद राम, संसद सदस्य	सदस्य
6. श्री पी० आर० कुमारमंगलम, संसद सदस्य	सदस्य
7. श्री छेदी पासवान, संसद सदस्य	सदस्य
8. डा० प्रधान एच० प्रसाद	सदस्य
9. श्री पी० सी० जोशी	सदस्य
10. श्री एम० वी० कृष्णन	सदस्य
11. श्री जी० अश्वथानारायण	सदस्य सचिव

2. आयोग की अवधि 31-3-1991 को समाप्त होगी। अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

आदेश

इस संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा अन्य सभी संबद्धों को भेजी जाए।

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (10 प्रतियां)

वी० पी० साहनी,
सचिव,

नई दिल्ली, दिनांक 16 जनवरी 1991

सं० क्यू-16012/1/88-ई०एस०ए० (एन० एल० आई०)—राष्ट्रीय श्रम संस्थान की नियमावली के नियम-III के अनुपालन तथा अधिसूचना संख्या क्यू-16012/1/88-ई०एस०ए० (एन०एल०आई०), दिनांक 10 अक्तूबर, 1990 के अनुसरण में, आम जनता की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निम्नलिखित व्यक्ति भी राष्ट्रीय श्रम संस्थान के सदस्य होंगे :—

प्रबंध संस्थान

श्री एन० आर० सेठ,
निदेशक,
भारतीय प्रबंध संस्थान,
वस्त्रापुर, अहमदाबाद-380056

(कर्मकारों के एक प्रतिनिधि का नाम बाद में अधिसूचित किया जाएगा)

दिनांक 25 जनवरी 1991

सं० क्यू-16012/2/89-ई० एस० ए० (डब्ल्यू० ई०) —केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 4(iv) के साथ पठित नियम 3(ii) के अनुसरण में भारत सरकार इसके द्वारा श्री पी० जी० लैले, वित्त सलाहकार (श्रम) के स्थान पर श्री आर० के० चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (श्रम मंत्रालय के समग्र वित्त सलाहकार को) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार श्रम मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 25 जून, 1990 की अधिसूचना संख्या क्यू-16012/2/89-ई०एस०ए० (डब्ल्यू०ई०) में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे :—

(i) वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, अर्थात् :—

"3. श्री पी०जी० लैले,
वित्त सलाहकार (श्रम)"

(ii) निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"3. श्री आर० के० चक्रवर्ती,
संयुक्त सचिव,
जल संसाधन मंत्रालय,
(श्रम मंत्रालय के वित्त सलाहकार)
भारत सरकार, नई दिल्ली।

ए० के० चन्दा,
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th February 1991

No. 12-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officers

Shri Inder Singh Mehra,
Senior Superintendent of Police,
Fatehgarh.

Shri Charan Pal Singh,
Dy. Superintendent of Police,
Fatehgarh.

Shri Mahesh Chandra Pandey,
Head Constable,
28 Battalion, PAC,
Etawah.

Shri Anant Ram Yadav,
Constable, Civil Police,
Fatehgarh.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 31st March, 1989 Shri Inder Singh Mehra, Senior Superintedent of Police, Fatehgarh received information from Shri Charan Pal Singh, Dy. Superintendent of Police, Karimganj that the gang of Ramji Yadav consisting of seven armed men would assemble in "Baithak" of one Nirmal, village Jaisinghpur Police Station, Karimganj to commit mass murder at the time of their departure from the village. Shri Mehra immediately collected available force from the Headquarters and one platoon of PAC stationed at Police Stations Mirapur and Karimganj and left towards village Saithara. One reaching there he divided the force into 3 groups.

First party was led by Shri Mehra himself while the second party was put under the charge of Shri Charan Pal Singh and the third party was led by Inspector-in-charge of Police Station Karimganj. Shri Mehra assessed the situation and tried to get the key of the lock put on the door of the "Baithak" but could not succeed. Thereafter, he positioned his party on the roof of the Baithak. The second group was towards the two doors of the Baithak and the third on the northern side of the premises.

Shri Mehra started digging out holes in the roof which alerted the gang and then he challenged the dacoits to surrender but they replied by indiscriminate firing on the Police party led by Shri Charan Pal Singh. When the first party made holes on the roof, Shri Mehra threw a hand grenade through it. The dacoits directed their gun fire to the roof but Shri Mehra luckily escaped. Shri Charan Pal Singh, Dy. Superintendent of Police, Shri Mahesh Chandra Pandey, Head Constable and Anant Ram Yadav Constable sustained gun shot injuries. Shri Charan Pal Singh alongwith one Sub-Inspector, despite fire from the gang towards his party, evacuated the injured and rushed to the hospital. Constable Anant Ram Yadav was shifted to Delhi for specialised treatment, where his one leg was removed to save his life. At about 5.30 PM Shri Mehra managed to start a fire in the Baithak which soon silenced the guns of the dacoit gang. On examination of the room, dead bodies of three dacoits, all in Police uniforms were found. The fire was extinguished with the help of fire brigade and dead bodies of four dacoits were also recovered alongwith fire arms and looted property.

In this encounter Shri Inder Singh Mehra, Senior Superintendent of Police, Shri Charan Pal Singh, Dy. Superintendent of Police, Shri Mahesh Chandra Pandey, Head Constable and Shri Anant Ram Yadav, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 31st March, 1989.

No. 13-Pers/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Names and rank of the Officer

Shri Arun Kumar Gupta,
Superintendent of Police,
Kanpur Nagar.

Shri Sheo Kumar Sharma,
Dy. Superintendent of Police,
Kanpur Nagar.

Shri Shanker Singh,
Dy. Superintendent of Police,
Kanpur Nagar.

Shri Gautendra Pal Singh,
Inspector of Police,
Kanpur.

Shri O. P. Sharma,
Inspector of Police,
Kanpur Nagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 7th January, 1988 Shri Arun Kumar Gupta, Superintendent of Police Kanpur City received information that two kidnapped boys were in the custody of a dreaded dacoit Laxmi Narain. He alongwith Shri Sheo Kumar Sharma, Dy. Superintendent of Police also Shri Shanker Singh, Dy. Superintendent of Police, Shri Gautendra Pal Singh, Inspector of Police and Shri O. P. Sharma, Inspector of Police and others proceeded to the spot of suspected assemblage of the dacoits in Lucknow. The force was divided into four subparties and all the officers/men engaged were fully briefed about the fire power and criminality of the gang. The first party headed by Shri Arun Kumar Gupta was positioned on the northern side of house, and the remaining parties were placed at the rear of the house and on eastern-western sides.

While Shri Gupta and his men moved towards the main gate and knocked at the door, one of the dacoits from inside questioned as to who they were. Shri Gupta remained cool and replied that they were Police-officers and also warned the dacoits that they have been surrounded as such they should surrender. This invoked immediate indiscriminate firing from inside on Shri Gupta and his party which narrowly missed and Shri Gupta returned the fire. The dacoits warned to kill the kidnapped boys. Shri Gupta sensing danger to the lives of the boys, at great risk to himself and his team of officers, decided to break open the front door. As loss of time would put the dacoits at the advantage and also cause danger to the lives of the boys, Shri Gupta alongwith Shri Sheo Kumar Sharma, Shri Shanker Singh, Shri Gautendra Pal Singh and Shri O. P. Sharma, struck like a lightning and broke open the door leaving the dacoits no time to counter the attack. One of the dacoits managed to fire but the entire party over-powered them and prevented any catstrophe. This daring move of the Police resulted in the arrest of gang leader Laxmi Narain, his four associates alongwith arms and ammunition and a brief case containing Rs. 39,000/- were recovered.

In this encounter Shri Arun Kumar Gupta, Superintendent of Police, Shri Sheo Kumar Sharma, Dy. Superintendent of Police, Shri Shanker Singh, Dy. Superintendent of Police, Shri Gautendra Pal Singh, Inspector of Police, and Shri O. P. Sharma, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(1) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th January, 1988.

No. 14-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officer

Shri S. N. P. Verma,
Addl. Superintendent of Police,
Distt. Bhojpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 26th July, 1987 at about 7.00 AM Superintendent of Police, Arrah, Bhojpur received an information that Hakim Singh, a notorious criminal wanted in several heinous crimes of Udwantnagar Police Station alongwith Gopal Singh another criminal has gone to Karisath bus stand to commit some serious crime. The Superintendent of Police immediately organised a raiding party consisting of Shri S.N.P. Verma, Additional Superintendent of Police, one Havildar (Driver) and two constables and rushed to the spot, while another party headed by Dy. Superintendent of Police, Headquarters Arrah, followed them.

The Superintendent of Police and his party reached Karisath bus stand at about 8.00 AM the same morning and as planned the SP's car stopped near the bus stand and the dreaded out-law Hakim Singh was located. On SP's Signal the two Constables jumped on Hakim Singh, overpowered him and dragged him towards the SP's car. At once Shri

S.N.P. Verma, Addl. Superintendent of Police came out of the car to push him inside, while Hakim Singh suddenly gave a loud call to his associates for help and asked them to open fire on the Policemen. Immediately the desperadoes fired two rounds at the policemen causing grievous injuries to Shri S.N.P. Verma, Additional Superintendent of Police, in his eyes and minor pellet injuries on the nose of Havildar (Driver). Sensing the gravity of the situation the Superintendent of Police rose to the occasion. He encouraged his men to challenge the desperadoes and at the risk of his personal safety, fired from his licensed 12 bore gun.

Despite grievous gun shot injuries, Shri S.N.P. Verma, faced the grim situation and with the assistance of other police personnel, notorious criminal Hakim Singh was apprehended and 25 live cartridges of .12 bore were recovered from him.

In this encounter Shri S.N.P. Verma, Additional Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th July, 1987.

No. 15-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Dr. Ajoy Kumar,
Asstt. Superintendent of Police,
Bhojpur Distt.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 3rd March, 1988 at about 0030 hours, Dr. Ajoy Kumar, Assistant Superintendent of Police, Bhojpur District received information about the presence of a dreaded dacoit in village Dhanachhua. Dr. Kumar immediately proceeded to the village alongwith the Police party. On being challenged, the Police party was fired upon indiscriminately. One of the dacoits rushed towards Dr. Kumar and fired at him. Dr. Kumar luckily escaped. Quick in response, he fired a shot at the criminal who fell down dead. The rest of the gang-members made their escape under the cover of exchange of fire and took shelter in a nearby house and started firing at the Police party again. The firing was responded by the Police party. Further re-inforcement requisitioned from Kochas Police Station, arrived about 12.00 hours. One of the dacoits who sought to fire at the approaching re-inforcement was shot dead by Dr. Kumar. The other dacoit who tried to fire at the Police party was scuffled and in the process he got injuried and succumed to his injuries. The search conducted subsequently revealed that two more dacoits had died in the encounter.

2. In this encounter Dr. Ajoy Kumar, Asstt. Superintendent of Police, Bhojpur District displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

3. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and cosequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd March, 1988.

No. 16-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :—

Name and rank of the officer

Shri R. Surendra Naik,
Circle Inspector of Police,
Sheshadripuram Sub-Division,
Bangalore City.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On the 12th August, 1989 at about 10.15 P.M., one Lokanath of NGO's Quarters, Magadi Road visited hotel "Vikram Restaurant" under Police Station Sheshadripuram with his friends. A group of five persons came to the hotel and picked up a quarrel with Lokanath, chased him out of the hotel and assaulted him with deadly weapons. As a result, he died. They further assaulted his associates, damaged the hotel property, parked cars and also assaulted the hotel manager with Choppers and caused grievous injury to his right hand and thereafter fled away

Shri R. Surendra Naik, Circle Inspector of Police, immediately rushed to the spot and made further investigation but nobody gave any information about the identity of the accused persons. Shri Naik established the identity of the culprits as Krishnoji Rao and his associates and also found out their hide-out. Immediately he and his staff proceeded to Chickmagalur Distt., and got information that the said accused with deadly weapons were hiding in the jungles of Kemmannugundi Hills.

Shri Naik and his staff kept a constant watch over the premises throughout the night. At about 5.00 AM when one of the inmates came out of the building, Shri Naik took out his revolver, rushed inside and blocked the out-lets. The rowdies were taken unawares by the swift raid and they picked up the deadly weapons and attacked Shri Naik with choppers on his right hand. As a result he sustained a bleeding injury but he successfullv nabbed them. The injury was later certified as fracture. Many deadly weapons were also recovered from the rowdies.

In this incident Shri R. Surendra Naik, Circle Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12th August, 1989.

New Delhi, the 11th February 1991

CORRIGENDUM

No. 17-Pres/91.—The following amendment is made in this Secretariat Notification No. 68-Pres/90, dated the 15th August, 1990, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated the 25th August, 1990 relating to the award of Home Gaurd and Civil Defence Medal of meritorious service on the occasion of the Independence Day, 1990 :—

Serial No. 38

For Shri Harbhan Singh Patel,
Deputy Commandant General Home Guard &
Deputy Director,
Civil Defence,
Rajasthan.

Read Shri Harbhan Singh Patel,
Deputy Commandant Home Guards &
Deputy Controller Civil Defence,
Jaipur, Rajasthan.

A. K. UPADHYAY, Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(ENVIRONMENT & FORESTS COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 23rd January 1991

No. 6/3/EFC/91.—The Speaker has nominated Shri Ram Sewak Bhatia, M.P. to be a member of the Committee on Environment & Forests (1990-91) *vice* Shri Jai Prakash ceased to be a member of the Committee on his appointment as a Minister.

J. G. RAMCHANDANI, Jt. Director

(AGRICULTURE COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 23rd January 1991

No. 6/3/AC/91.—The Speaker has appointed Shri Balasaheb Vikhe Patil, M.P. as Chairman of the Committee on Agriculture (1990-91) *vice* Shri Rao Birendra Singh ceased to be a member and Chairman of the Committee on his appointment as a Minister.

M. RAJAGOPALAN NAIR, Dy. Director

(PAC BRANCH)

New Delhi-110001, the 14th January 1991

No. 4/1/90/PAC.—Shri A.N. Singh Deo, M.P. and Shri M.S. Gurupadaswamy, M.P. have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April, 1991 vice Shri Shantilal Purushottamdas Patel and Shri Kamal Morarka M.Ps. respectively ceased to be the Members of the Committee on their appointment as Ministers.

B. S. JOHAR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 24th January 1991

RESOLUTION

No. U-24012/1/90-RW.—The National Commission on Rural Labour constituted vide Ministry of Labour Resolution No. U-24012/1/87-RW dated the 11th August, 1987, published in the Gazette of India, Part I, Section 1 is hereby reconstituted as under :—

Chairman

1. Shri C.H. Hanumantha Rao

Members

2. Shri H. Hanumanthappa, MP
3. Shri Gurudas Das Gupta, MP
4. Shri P. K. Kunjachen, MP
5. Shri Chand Ram, MP
6. Shri P.R. Kumaramangalam, MP
7. Shri Chedi Paswan, MP
8. Dr. Pradhan H. Prasad
9. Prof. P.C. Joshi
10. Shri S.V. Krishnan
11. Shri G. Asvathanarayan — Member-Secretary

2. The term of the Commission will expire on 31-3-1991. The other terms and conditions shall remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

Member Secretary, NCRL (with 10 spare copies).

V. P. SAWHNEY, Secy.

New Delhi, the 16th January 1991

No. Q-16012/1/88-ESA (NLI).—In pursuance of Rule III of the Rules of the National Labour Institute and in continuation of Notification No. Q-16012/1/88-ESA (NLI), dated the 10th October, 1990, it is notified for the information of public that the following person shall be a member of the National Labour Institute with effect from the date of the issue of this Notification :—

Management Institute

Shri N. R. Sheth,
Director,
Indian Institute of Management,
Vastrapur, Ahmedabad-380 056.
(The name of one Workers' representative will be notified later).

The 25th January 1991

No. Q-16012/2/89-ESA (WE) (.).—In pursuance of Rule 3(ii) read with Rule 4(iv) of the Rules & Regulations of the Central Board for Workers Education, the Government of India hereby appoint Shri R.K. Chakrabarti, Joint Secretary in the Ministry of Water Resource Development, Government of India (Integrated Financial Adviser to Ministry of Labour) as a member on the Central Board for Workers Education in place of Shri P.G. Lele, Financial Adviser (Labour) with effect from the date of issue of this Notification.

2. The following changes shall, accordingly, be made in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/2/89-ESA (WE) dated 25th June, 1990, as amended from time to time :—

(i) for the existing entry viz :—
"3. Shri P.G. Lele,
Financial Adviser (Labour)"

(ii) the following entry shall be substituted viz :—

"Shri R. K. Chakhabarti,
Joint Secretary,
Ministry of Water Resources,
(Financial Adviser to Ministry of
Labour) Govt. of India, New Delhi."

A. K. CHANDA, Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित—1991
Printed by the Manager, Government of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi, 1991